तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट ।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पोडेंट

आदेश

हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–1–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मै0श्री लक्ष्मी जिनिंग मिल्स को ग्राम मंगलवाड तहसील डूंगला में स्थित भूमि खसरा नंबर 21/10 में से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि को चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटन) नियम 1959 के अंतर्गत 99 वर्ष की लीज पर दिनांक 9–6–83 को शर्तो के आधार पर जिला कलेक्टर चित्तौडगढ ने आवंटन किया जिसकी पालना में दिनांक 5–7–83 को लीज डीड निष्पादित कर पंजीयन कराया। लेकिन आवंटी द्वारा लीज शर्तो की पालना नही करने पर उक्त आवंटन जिला कलेक्टर चित्तौडगढ ने दिनांक 21–4–99 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर कतिपय निर्देशों के साथ अपील प्रतिप्रेषित की गई। उक्त आदेश की पालना में जिला कलेक्टर ने उभय पक्ष को सुनकर आवंटी का आवंटन पुनः निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–1–06 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि आवंटी ने विवादित उद्योग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	ईकाई में कार्य प्रारम्भ कर दिया था इसके लिये दिनांक 22–3–2000 को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया परंतु जिला कलेक्टर के पूर्व आदेश की पालना में विवादित आराजी बिलानाम अंकित कर दी थी जिससे अपीलांट को उद्योग सुचारू रूपसे चलाने हेतु ऋृण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी अपीलांट ने उद्योग को सुचारू रूपसे प्रारमभ कर दिया था। उद्योग विभाग द्वारा नियमानुसार स्थल निरीक्षण कर उद्योग को सुचारू रूपसे चालू होने की स्थिति में ही स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलांट द्वारा शर्तो की अवहेलना करने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों तथा संलग्न दस्तावेज का अद्योपांत अवलोकन व अध्यन किया गया। अपीलांट मै0श्री लक्ष्मी जिनिंग मिल्स को ग्राम मंगलवाड तहसील डूंगला में स्थित भूमि खसरा नंबर 21/10 में से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि को चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटन) नियम 1959 के अंतर्गत 99 वर्ष की लीज पर दिनांक 9–6–83 को शर्तो के आधार पर जिला कलेक्टर चित्तौडगढ ने आवंटन किया गया था। जिसकी शर्त क्रमांक–4 के अनुसार 2 वर्ष के भीतर उद्योग स्थापित करना था और नहीं करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पर भूमि पुनः राज्य सरकार के कब्जे में ली जाने की शर्त अंकित की हुई थी। इसकी पालना में दिनांक 5–7–83 को जो लीज डीड सम्पादित की गई सकी शर्त संख्या–4 (iv)(v)(vi)(x) की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में जिला कलेक्टर ने आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को एक अवसर देते हुये चार माह में कार्य करने का समय दिया। अवसर देने के बावजूद भी अपीलांट ने जिनिंग मिल्स की स्थापना करके उत्पादन शुरू नहीं किया। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को स्थल निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करने पर अपीलांट की उपस्थिति में दिनांक 13–8–99 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर्चा मौका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मै0 लक्ष्मी जिनिंग मिल्स को जिनिंग उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटन किये जाने के 20 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी उसने उद्योग स्थापित नहीं कर लीज डीड में वर्णित शर्तो का स्पष्ट उल्लंधन करते हुये पालना नहीं की गई है। शर्तो की अवहेलना होने की स्थिति में ही जिला कलेक्टर द्वारा अपीलांट का आवंटन सही निरस्त किया है। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील खारिज योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

अपील/ एलआर/2599/2006 / चित्तौडगढ
मै0लक्ष्मी जिनिंग मिल्स बनाम जिला कलेक्टर